

भारत सरकार  
भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र  
सिविल इंजीनियरी प्रभाग

ट्रॉम्बे,  
मुंबई-400085

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना सं: बीएआरसी/सीईडी/ईटी/52/2024-2025 दिनांक 16/01/2025

I. निविदा आमंत्रण सूचना के ब्यौरे

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु उन पात्र ठेकेदारों से दो भागों (भाग 'क' तकनीकी वाणिज्यिक बोली एवं भाग 'ख'- वित्तीय बोली) में ई-निविदाकरण के माध्यम से ऑनलाईन मद-दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| i)     | कार्य का नाम  | : | पुराने प्रशिक्षण स्कूल भवन, दक्षिण साइट, बीएआरसी, ट्रॉम्बे, मुंबई में संरचनात्मक मरम्मत, पेंटिंग और विविध कार्य।  |
| ii)    | कार्यस्थल /पिन कोड  | : | बीएआरसी, ट्रॉम्बे, मुंबई -400085  |
| iii)   | कार्य /उत्पाद श्रेणी  | : | कार्य   |
| iv)    | आमंत्रित अधिकारी  | : | मुख्य अभियंता   |
| (v)    | आमंत्रित अधिकारी का पता   | : | सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग  |
| (vi)   | अनुमानित लागत<br>(जीएसटी के बिना)                               | : | ₹ 5,23,00,000/- + <b>जीएसटी जैसा लागू हो</b>  |
| (vii)  | बयाना राशि  | : | ₹ 12,34,280/-   |
| (viii) | निविदा दस्तावेज की लागत   | : | शून्य   |
| (ix)   | निविदा प्रक्रिया शुल्क  | : | शून्य   |
| (x)    | कार्य की अवधि   | : | 458 (चार सौ अट्टावन) मानसून अवधि सहित कैलेंडर दिन   |
| (xi)   | निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए प्रारंभ/अंतिम तारीख तथा समय | : | <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a><br><u>वेबसाइट पर दिनांक 20.01.2025 (17:00 बजे)</u> से दिनांक 21.02.2025 (15:00 बजे) तक। विस्तृत एनआईटी केवल देखने के लिए वेबसाइट <a href="http://www.भापअ.केंद्र.gov.in">www.भापअ.केंद्र.gov.in</a> या <a href="https://eprocure.gov.in/cppp/relatedlinks/">https://eprocure.gov.in/cppp/relatedlinks/</a> भापअ केंद्र पर जाएं। |
| (xii)  | स्पष्टीकरण की प्रारंभ तारीख तथा समय                             | : | 20.01.2025 (17:00 बजे)  |

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| (xiii)  | स्पष्टीकरणकी अंतिम तारीख तथा समय                        | : | <b>27.01.2025</b> (15:00 बजे)   |
| (xiv)   | साइट यात्रा की तारीख तथा समय                            | : | <b>28.01.2025</b> (11:00 बजे)   |
| (xv)    | बोली-पूर्व बैठक की तारीख तथा समय                        | : | <b>28.01.2025</b> (11:00 बजे)   |
| (xvi)   | बोली-पूर्व बैठक का पता                                  | : | सिविल इंजीनियरी प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रॉम्बे, मुंबई-400085   |
| (xvii)  | बोलीप्रस्तुत करने की प्रारंभ तारीख तथा समय              | : | 06.02.2025 (11:00 बजे)  |
| (xviii) | बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तथा समय               | : | 21.02.2025 (15:00 बजे)  |
| (xix)   | बयाना राशि, जमा तारीख, समय तथा भेजने का पता ।           | : | 24.02.2025 (15:00 बजे) को या इससे पूर्व मात्रा अनुभाग कार्यालय में, कमरा नंबर 203, पहली मंजिल, सीईडी, बीएआरसी, ट्रॉम्बे, मुंबई 400085 या नॉर्थ गेट एग्जिट पोर्टल (संपर्क नंबर 022 2559 3119) के ग्राउंड फ्लोर (सीढ़ी के पास) में सीईडी कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में ) एक सीलबंद लिफाफे में मुख्य, मात्रा अनुभाग, सीईडी, कार्य का नाम और एनआईटी संख्या का उल्लेख करते हुए संबोधित करते हुए लिफाफे में। मूल दस्तावेजों को वरीयतः व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करें। तथापि, डाक अथवा कूरियर द्वारा भेजे गए दस्तावेजों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते दि वे निर्धारित तारीख एवं समय से पहले प्राप्त हो जाते हैं । |
| (xx)    | बोली खोलने का समय/ ऑनलाइन भाग क खोलने की तारीख एवं समय  | : | 27.02.2025 (15:30 बजे)  |
| (xxi)   | बोली खोलने का स्थान                                     | : | सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रॉम्बे, मुंबई-400 085  |
| (xxii)  | निविदाकर्ता वर्ग  | : | निविदा दस्तावेज के अनुसार   |
| (xxiii) | योग्य बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोली (भाग ख) खोलने की तिथि | : | शुद्धिपत्र के माध्यम से नीचे वेबसाइट पर बाद की तारीख में अधिसूचित किया जाएगा <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a>  |
| xxiv    | निविदा की वैधता (दिनों तक)                              | : | 180 (एक सौ अस्सी )  |

## II. आरंभिक पात्रता मानदंड:

2. i) बोलीकर्ता उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 (समय-समय पर संशोधित) के अनुरूप होगा। इसके अलावा बोली लगाने वाले को विषय निविदा में प्रस्तावित % स्थानीय सामग्री के लिए (निविदा दस्तावेज का परिशिष्ट - 4 देखें) बोली के साथ अंडरटेकिंग भी जमा करनी होगी ।

ii) 'क्लास-। स्थानीय आपूर्तिकर्ता', 'क्लास-॥ स्थानीय आपूर्तिकर्ता' और 'गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की परिभाषा के लिए सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 का संदर्भ लिया जाएगा। जब तक निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपलोड किए गए बोलीपूर्व स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया जाता है, कोई बोलीकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए तब तक पात्र होगा यदि वे यह

दर्शने वाला एक वचनबद्ध प्रस्तुत करने में सक्षम हैं कि वे 'क्लास-। स्थानीय आपूर्तिकर्ता' हैं। जो बोलीकर्ता खुद को 'क्लास-॥ स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में पाते हैं, वे भी भाग ले सकते हैं, बशर्ते वे संबंधित सरकारी विभाग/मंत्रालयों से उचित नोटिंग/घोषणा के साथ स्पष्टीकरण मांगकर इसके लिए सुझाव दें और ऐसे सुझावों के आधार पर विभाग द्वारा अपलोड किया गया बोलीपूर्व स्पष्टीकरण 'क्लास-॥ स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की पात्रता को दर्शाता हो। तथापि, विनिर्दिष्टानुसार ऐसे मामलों में वर्क्स के प्रापण के लिए मैनुअल-2022 में अनिवार्य प्रापण वरीयता का पालन किया जाएगा। जो बोलीकर्ता 'क्लास-। स्थानीय आपूर्तिकर्ता' या 'क्लास-॥ स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में वचनबद्धता प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें इस निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iii) बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए :

- (क) निविदा खुलने की तारीख से पूर्व एक वर्ष के भीतर जारी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से कम से कम ₹ 246.86 लाख के बैंकऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र।
- (ख) दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय टर्नोवर कम से कम ₹ 617.14 लाख होना चाहिए। यह एक पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित होना चाहिए।
- (ग) 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान दो वर्ष से अधिक में घाटा (कर के पश्चात लाभ हुआ हो) नहीं हुआ होना चाहिए। किसी पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित लाभ हानि विवरण को ही इस पात्रता का प्रमाण माना जाएगा।
- (घ) सभी पूर्ण किये गये समान कार्यों के निष्पादन प्रमाण-पत्र, जिन्हें समान कार्यों के अनुभव के रूप में उद्धृत किया गया है।
- (च) जीएसटी, ईपीएफ (भविष्य निधि कोड के साथ) और ईएसआईसी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- (छ) स्थायी खाता सं (पेन)।

3. बोलीकर्ता द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाने वाले महीने से पूर्व के महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले पिछले 7 (सात) वर्षों में कम से कम प्रत्येक ₹ 246.86 लाख के लागत के इसी प्रकार के 03 (तीन) कार्य या कम से कम ₹ 370.28 लाख के लागत के इसी प्रकार के 02 (दो) कार्य या कम से कम ₹ 493.71 लाख के लागत के इसी प्रकार का 01 (एक) कार्य संतोषजनक रूप से (कार्य के क्लायंट द्वारा निष्पादन प्रमाणपत्र पर आधारित) पूरा किया हो। निविदा प्रस्तुति की अंतिम तारीख से एक दिन पूर्व पूर्ण किए गए कार्य को भी मान्यता दी जाएगी और यदि केंद्र सरकार/राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पात्र समरूप प्रकार के कार्य निष्पादित नहीं किए गए हों, तो उसके लिए बोलीकर्ता को आयकर अभिलेख से विवरण प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत किए गए विवरण/अभिलेखों से समान कार्य के लिए ग्राहक से बोली कर्ता को भुगतान की पुष्टि करें।

इस प्रयोजन हेतु "कार्य की लागत" का तात्पर्य है पूरे हुए कार्य की सकल लागत जिसमें सरकार/क्लायंट द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों की लागत शामिल है, लेकिन इसमें निःशुल्क आपूर्ति की गयी सामग्री शामिल नहीं होगी। इसी प्रकार के कार्य का तात्पर्य "आरसीसी संरचना की संरचनात्मक मरम्मत/सुदृढ़ीकरण कार्य।" समान कार्य भारत में निष्पादित किया हुआ होना चाहिए।

4. निष्पादित कार्य के मूल्य को 7% प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निविदाओं के लिए आवेदन प्राप्ति की आखिरी तारीख तक किया जाएगा।
5. ठेकेदार की बोली क्षमता निविदा में दिए गए कार्य की अनुमानित लागत के समतुल्य या उससे अधिक होनी चाहिए। बोली क्षमता की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाएगी।

$$\text{बोली क्षमता} = [A \times N \times 2] - B$$

जहां

A = पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी एक वर्ष में निष्पादित निर्माण कार्यों का मूल्य जिसमें पूर्ण कार्य तथा प्रगति पर कार्य दोनों को ध्यान में रखा जाएगा ।

N = जिस कार्य के लिए बोली आमंत्रित की गई है उसकी पूर्णता के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या ।

B = विद्यमान प्रतिबद्धताओं एवं जिस कार्य के लिए बोली आमंत्रित की गई है उसकी पूर्णता की अवधि के दौरान पूर्ण होने वाले चालू कार्यों का मूल्य ।

## 6. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म होना चाहिए ।

### III. सूचना :

7. निविदा दस्तावेज दो भागों में अर्थात भाग 'क' निविदा दस्तावेज दो भागों में अर्थात भाग 'क' (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) एवं भाग 'ख' (कीमत बोली) में तैयार किया गया है। भाग 'क' में : खंड I- सूचना ई-टेंडर आमंत्रित (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) खंड II- अनुबंध, ज्ञापन, के मार्गदर्शन केलिए समझौते के द्वितीय प्रपत्र और सामान्य नियम और निर्देश, खंड III-अनुबंध की सामान्य शर्तें, अतिरिक्त शर्तें, खंड IV-निविदाकारों के लिए विशेष निर्देश, खंड V-तकनीकी विनिर्देश, खंड VI-निविदा चित्र की सूची, खंड VII-अनुसूची ए (विभाग द्वारा पूर्ति की जाने वाली सामग्री की अनुसूची), परिशिष्ट 'बी'-प्रदर्शन सुरक्षा केलिए बीजी बॉन्ड का रूप, परिशिष्ट 'C'- सुरक्षित अग्रिम केलिए इंडेंट्योर (सिविल निर्माण कार्य केलिए लागू, परिशिष्ट 'डी- वॉटरप्रूफिंग कार्यों के लिए गारंटी बॉन्ड (सिविल कार्यों के लिए लागू, अनुलग्नक 'ए'- मानवशिक्ति और मशीनरी का विवरण, निविदा दस्तावेजों के सभी शुद्धिपत्र, अनुलग्नक 'बी'- निर्माण सामग्री के अनुमोदित निर्माता की सूची (सिविल कार्यों के लिए लागू) और अनुसूचियों 'ए' से 'एफ' का प्रोफार्मा शामिल है। भाग 'ख' (वित्तीय बोली) में अनुसूची 'बी'- मात्राओं की अनुसूची शामिल है। सफल बोलीकर्ता को कार्य सौंपे जाने के बाद उपरोक्त सभी दस्तावेज अनुबंध का हिस्सा होंगे। सफल बोलीकर्ता को कार्य सौंपे जाने के बाद उपरोक्त सभी दस्तावेज अनुबंध का हिस्सा होंगे।

निविदा दस्तावेजों [www.barc.gov.in](http://www.barc.gov.in) की प्राप्ति : भावी बोलीकर्ता या सामान्यजन उक्त दस्तावेजों को वेबसाइट **•Tenders and NITs•Other Information** से निःशुल्क देख सकते हैं एवं इसके पीडीएफ फार्मेट को डाउनलोड कर सकते । को दोनों वेबसाइटों का संदर्भ लेना चाहिए और निविदा दस्तावेजों का पूरा सेट प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। केवल एक साइट का देखने पर आंशिक निविदा दस्तावेज़ ही मिल सकता है।

### IV. सीपीपी वेबसाइट में ई निवेदा के लिए दिशा निर्देश

सीपीपी पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, संभावित बोलीकर्ताओं को एक वैध Calss III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। निविदा की पात्रता मानदंड से संबंधित सभी दस्तावेज केवल सीपीपीपी पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नीचे दिए गए निर्देश बोलीकर्ताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करने और सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करने में सहायता करने के लिए हैं।

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी यहां प्राप्त की जा सकती है

<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>

- 8. पंजीकरण:**
- बोलीकर्ताओं को सीपीपी पोर्टल पर "ऑनलाइन बोलीकर्ता नामांकन" लिंक पर क्लिक करके केंद्रीय सार्वजनिक प्राप्ति पोर्टल (यूआरएल:<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है। पोर्टल जो निःशुल्क है।
  - नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में, बोलीकर्ताओं को एक विशिष्ट उपयोग कर्तानाम चुनना होगा और उनके खातों केलिए एक पासवर्ड असाइन करें।
  - बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपना वैध ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। इनका उपयोग सीपीपी पोर्टल से किसी भी संचार केलिए किया जाएगा।
  - नामांकन के बाद, बोलीकर्ताओं को अपने प्रोफाइल के साथ सीसीए इंडिया (जैसेसिफी / एनकोड / ईमुद्रा आदि) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाण न प्राधिकरण द्वारा जारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (हस्ताक्षरकुंजीउपयोग के साथ तृतीय श्रेणी के प्रमाणपत्र) को पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।
  - एक बोली दाता द्वारा केवल एक वैधडी एससी पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करने केलिए जिम्मेदार हैं कि वे अपने डीएससी को दूसरों को उधार नहीं देते हैं जिससे दुरुपयोग हो सकता है।
  - बोलीकर्ता तब साइट पर सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से अपना यूजर आईडी/पासवर्ड और डीएससी/ई-टोकन का पासवर्ड दर्ज करके लॉगइन करता है।
- 9. निविदा दस्तावेजों की खोज़:**
- विविध मानक के अनुसार से सयनिविदा की खोज में बोली कर्ता की सहायता केलिए सीपीपी पोर्टल में खोज के कई विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। इन मानक में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तारीख, मूल्य इत्यादी शामिल हैं। निविदाओं की प्रगत खोज केलिए भी एक विकल्प है जिसमें बोलीकर्ता एक से अधिक मानकों जैसे कि संगठन का नाम, संविदा का प्रकार, स्थान, तारीख अन्यकी-वर्डइत्यादी को लते हुए सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज कर सकते हैं।
  - जिस निविदा में बोलीकर्ता की रुची है, उसके चयन के पश्चात, वैआवश्यक दस्तावेज निविदा समय सारणी डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदा को संबंधित 'My Tenders' नाम क फोल्डर में संचियत किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप, निविदा दस्तावेज में शुद्धीपत्र जारी किए जाने की स्थिती में सीपीपी पोर्टल की ओर से एसएमएस/ ई-मेल के माध्यम से बोलीकर्ता को सूचना प्रेषित की जा सकेगी।
  - बोलीकर्ता, प्रत्येक निविदा को प्रदान की गई यूनीक निविदा आईडी को नोट कर ले ताकि हेल्प डेस्क से स्पष्टीकरण/ सहायता, यदि आवश्यक हो, तो वह सुगमता से प्राप्त हो सके।
- 10. बोलियों की तैयारी :**
- बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज के संबंध में प्रकाशित शुद्धीपत्र में उल्लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।
  - कृपया बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को समझने के लिए निविदा विज्ञापन एवं निविदा दस्तावेज को ध्यान से पढ़ ले। कृपया बोली दस्तावेजों को प्रस्तुत कर ने हेतु लिफाफों की संख्या, प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज का नाम एवं विषय वस्तुसहित दस्तावेजों की संख्या नोट कर ले। उक्तबिंदु से किसी भी प्रकार का विचलन होने पर बोली को अस्वीकार किया जा सकता है। बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी भी डेटा/दस्तावेज़/पत्राचार के माध्यम से किसी भी मूल्य बोली की जानकारी का खुलासा नहीं किया

जाए और मूल्य बोली खोलने की निर्धारित तिथि से पहले देखने के लिए उपलब्ध न हो। यदि कोई मूल्य बोली की जानकारी निर्धारित मूल्य बोली खोलने की तारीख और समय से पहले प्रकट की जाती है तो निविदा को तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

- iii. बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज/समय सारणी में यथा वर्णित, प्रस्तुत किए जाने वाले निविदा दस्तावेज पहले से ही तैयार करके रख लेने चाहिए तथा सामान्यतः ये दस्तावेज PDF / XLS / RAR / DWF/JPG फोर्मेट में हो सकते हैं। बोलीनिविदा दस्तावेज ब्लैक एडं क्वाइट विकल्प सिहत 100 dpi के साथ स्कॉन कर लिए जाए ताकि स्कैन किए गए दस्तावेज का साइज कम हो सके।
- iv. प्रत्येक बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले मानक दस्तावेजों के समान सेट को हर बार अपलोड करने में लगनेवाले समय एवं मेहनत से बचने के लिए, ऐसे मानक दस्तावेजों (उदाहरणार्थ पैनकार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र इत्यादी) को एक बारगी अपलोडिंग का प्रावधान बोलीकर्ता के लिए उपलब्ध करवाया गया है। ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोलीकर्ता उन्हे उपलब्ध कराए गए "My Space" या "Other Important Documents" जैसे एरिया का उपयोग कर सकते हैं। बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेजों को सीधे "MySpace" एरिया से जमा किया जा सकता है तथा उन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप बोली प्रस्तुति प्रक्रिया में कम समय लगेगा।

टिप्पणी : My Documents"यह स्पेस केवल एक संग्रह क्षेत्र है जो बोलीकर्ता को अपलोडिंग प्रक्रिया में सहायता हेतु उपलब्ध करवाया गया है। यदि बोलीकर्ता ने "My Documents" स्पेस में अपने दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं, तो इससे यह बात स्वतः सुनिश्चित नहीं हो जाती की ये दस्तावेज तकनीकी बोली का एक भाग हो चुके हैं ।

## 11. बोलियों की प्रस्तुति :

- i. बोलियां सीपीपी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएंगी।
- ii. बोलीकर्ता को, पर्याप्त समय पूर्व वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना चाहिए ताकि वे समय पर अर्थात् निर्धारित तारीख को या उससे पूर्वबोली को अपलोड कर सके। अन्य कारण से, किसी भी प्रकार के विलंब के लिए बोलीकर्ता जिम्मेदार होंगे ।
- iii. निविदा दस्तावेज में बताए गए अनुसार बोलीकर्ता को सभी आवश्यक बोलीदस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे तथा एक-एक करके उन्हें अपलोड करनी होगी।
- iv. यथा लागू निविदा शुल्क/ ईएमडी का भुगतान करने के लिए बोलीकर्ता को भुगतान विकल्प में "ऑफलाइन" का चयन करना होगा तथा भुगतान के माध्यम का विवरण भरना होगा ।
- v. प्रत्यक्ष रूप से भेजे गए डीडी/ भुगतान के किसी अन्य स्वीकृत माध्यम से किए गए भुगतान का विवरण स्कैन की हुई प्रति में उपलब्ध विवरण एवं बोली प्रस्तुति के समय भरे गए डाटा से मेल खाना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- vi. एजेन्सी को, कार्य से संबंधित बोलीपूर्व स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो उसे डाउनलोड करना होगा और उसे (स्कैन की गई प्रति) मोहरसहित हस्ताक्षर के साथ अपलोड करना है। संशोधित दस्तावेज (यदि कोई हो) को उन्हें ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा । बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुत करने का यह अर्थ होगा कि वे काम के पूरे दायरे को समझ गए हैं और विभाग द्वारा अपलोड किए गए पूर्व-बोली स्पष्टीकरण दस्तावेज के माध्यम से संशोधन सहित सभी निविदा शर्तों के पालन के लिए सहमत हैं।
- vii. बोलीकर्ता कृपया ध्यान दे कि वे अपनी वित्तीय बोलियां, उन्हें उपलब्ध करवाए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत कर तथा आवश्यक कोई भी प्रारूप स्वीकार्य नहीं होगा । यदि मूल्य की बोली को निविदा दस्तावेज सहित मानक BOQ प्रारूप के रूप में उपलब्ध करवाया गया है, तो सभी बोलीकर्ताओं

द्वारा उसे ही डाउनलोड किया जाना होगा और उसमें ही विवरण भरना होगा। बोलीकर्ता को BOQ फाइल डाउनलोड करनी होगी, उसे खोलना होगा एवं आसमानी रंग के खानो (परिवर्तनीय) में संबंधित वित्तीय कोट एवं अन्य विवरण (जैसेकि बोलीकर्ता का नाम) भरना होगा। किसी अन्य खाने में कोई परिवर्तन नहीं करना है। समस्त विवरण भरने के पश्चात, बोलीकर्ता को फाइल सेव करनी चाहिए तथा फाइल का नाम अपरिवर्तित रखते हुए उसे ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। यह पाए जाने पर कि बोलीकर्ता द्वारा फाइल में परिवर्तन किया गया है, बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- viii. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समर्थन ही अपने दस्तावेज अपलोड कर ले ताकि सर्वर पर अंतिम समय पर होने वाली व्यस्तता या अपलोड करने में किसी प्रकार के जटिलता की स्थिति से बचा जा सके। दस्तावेज अपलोड करने के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाइयों जिसमें सर्व एवं तकनीकी समस्याएं भी शामिल हैं, के लिए भापअ केंद्र किसी भी हाल में जिम्मेदार नहीं होगा।
- ix. बोलीकर्ताओं द्वारा बोलियां जमा करने, बोलियां खोलने आदि की समय सीमा को संदर्भित करने केलिए सर्वर समय (जो बोलीकर्ताओं के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है) मानक समय माना जाएगा। बोलीकर्ताओं को बोली जमा करने के दौरान समय का पालन करना चाहिए।
- x. नियत तारीख एवं समय (समय-विस्तारसहित) के पश्चात निविदा दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अनुमती नहीं है।
- xi. डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने केलिए बोलीकर्ताओंद्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेजों को पी के आई एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके एन्क्रिट किया जाएगा। दर्ज किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बोली खुलने के समय तक नहीं देखा जा सकता है। सुरक्षित सॉफ्ट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके बोलियों की गोपनीय ता बनाए रखी जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा भंडारण एन्क्रिप्शन किया जाता है। कोई भी बोलीदस्तावेज़ जो सर्वर पर अपलोड किया जाता है, सिस्टमद्वारा उत्पन्न सममितकुंजी का उपयोग करके सममित एन्क्रिप्शन के अधीन होता है। इसके अलावाय हकुंजी खरीदारों/बोली खोलने वाले की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके असमित एन्क्रिप्शन के अधीन है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं।
- xii. अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलनेवालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं।
- xiii. बोलियों को समय पर सफलतापूर्वक अपलोड करने पर (अथार्टपोर्टलमें "Freeze Bid Submission" क्लिककरने के पश्चात) पोर्टल पर सफल बोलीप्रस्तुति का संदेश प्रदर्शित होगा तथा बोली संख्या तथा बोली प्रस्तुति की नियत तारीख एवं समय एवं अन्य संग विवरण सहित बोली सारांश प्रदर्शित होगा।
- xiv. बोली सारांश मुद्रित किया जाना चाहिए और बोली प्रस्तुत करने की पावती के रूप में रखा जाना चाहिए। इस पावती का उपयोग किसी भी बोली खोलने की बैठक के लिए प्रवेशपास के रूप में किया जा सकता है।
- xv. इच्छुक बोलीकर्ता को यह सलाह दी जाती है कि वे बोलीप्रस्तुति के अंतिम तारीख तक इस वेबसाइट को नियमित रूप से देखेता कि वे, शुद्धिपत्र/अनुशेष/संशोधन द्वारा वेबसाइट के माध्यम से निवदा में किए गए परिवर्तन/आशोधन संबंधी जानकारी के बारे में अद्व्यतित रहे।
- xvi. निविदा की कुछ वस्तुओं/सामग्री की तकनीकी विनिर्देश, बोलीकर्ताओं के लिए प्रदर्शन मापदंडों और निविदा विनिर्देशों से मिलान हेतु सामान्य सिफारिश और मार्गदर्शन के रूप में मेक और ब्रांड का सुझाव देती हैं। तथापि, बोलीकर्ता, प्रदर्शन मापदंडों और निविदा विनिर्देशों को प्राप्त करने के अधीन वैकल्पिक/समतुल्य मेक और ब्रांड का सुझाव दे सकते हैं, इस संबंध में वे प्रमाणित करने के लिए तकनीकी विवरण प्रदान करेंगे। सभी बोलीकर्ताओं के लिए समान अवसर और निष्पक्ष

और न्यायसंगत प्रतिपादन सुनिश्चित करने के लिए और कार्य के निष्पादन के दौरान देरी से बचने के लिए, बोली जमा करने से पहले बोली-पूर्व स्पष्टीकरण चरण वैकल्पिक मेक/ब्रांड का सुझाव देने और जमा किए गए तकनीकी विवरणों के उचित सत्यापन के बाद अपलोड किए गए बोली-पूर्व स्पष्टीकरण दस्तावेज में विभाग द्वारा उसे मान्यता देने के लिए उपयुक्त चरण है। कार्य प्रदान करने के पश्चात, ठेकेदार द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक/समतुल्य मेक की स्वीकृति/अस्वीकृति (यदि कोई हो) बताने में लगने वाले समय के कारण होने वाली देरी के लिए ठेकेदार उल्लंघन की जाएगी। मदों/सामग्रियों के उच्च विनिर्देशन/प्रदर्शन के कारण अतिरिक्त लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा।

### 12. बोलीकर्ताओं को सहायता:

- निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा केलिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।
- निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा केलिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क कोई भी प्रश्न्या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्नों को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्प डेस्क को निर्देशित किया जा सकता है।

### 13. पूर्व अर्हता :

- 13.1 निविदा का भाग-'क' खुलने के बाद मुख्य अभियंता द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा जो निम्नलिखित आधार पर निविदाकारों की क्षमता का मूल्यांकन करेंगे ।

| मानदंड | मानदंड  | अत्यधिक अंक |
|--------|---|-------------|
| (ए)    | वित्तीय क्षमता (प्रपत्र 'ए' एवं 'बी')                                     | 20          |
| (बी)   | पिछले सात वर्षों के दौरान समान स्वरूप वाले कार्य में अनुभव (प्रपत्र 'सी') | 20          |
| (सी)   | कार्य निष्पादन (प्रपत्र 'ई') टाइम ओवर रन                                  | 20          |
| (डी)   | कार्य निष्पादन (प्रपत्र 'ई') गुणवत्ता                                     | 15          |
| (ई)    | कार्मिक एवं स्थापना (प्रपत्र 'जी')  | 10          |
| (एफ)   | प्रस्तावित संयंत्र एवं उपस्कर (प्रपत्र 'एच')                              | 15          |
|        | <b>कुल</b>  | <b>100</b>  |

पूर्व अर्हता प्राप्त करने के लिए बोलीकर्ता को प्रत्येक मापदंड में कम से कम पचास प्रतिशत अंक तथा कुल अंक साठ प्रतिशत प्राप्त करने चाहिए । यद्यपि विभाग का यह अधिकार है कि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करे तथा बिना कोई कारण बताएं आवेदन को अस्वीकृत कर दें तथा यदि पूर्व अर्हता मापदंडों को पूरा करने वाले अत्यधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो अर्हता और आवश्यकता के अनुसार किसी भी संख्या तक पूर्व अर्हता प्राप्त ठेकेदारों की सूची को सीमित कर सकते हैं । पूर्व अर्हता का मूल्यांकन नीचे दी गई अंक प्रणाली के अनुसार किया जाएगा :

### 13.2 पूर्व अर्हता के लिए अंक प्रणाली :

**बोलीकर्ताओं को निम्नलिखित मापदंडों पर मूल्यांकित किया जाएगा ।**

|      | विशेषताएं  | अंक              | मूल्यांकन   |             |             |                 |
|------|--|------------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| (ए)  | <b>वित्तीय क्षमता</b>  | <b>20</b>        | (i) न्यूनतम पात्रता/ अर्हता मानदंड हेतु 60% अंक<br>(ii) 100% अंक, न्यूनतम अर्हता मापदंड से दुगना या अधिक हो तो आनुपातिक आधार पर (i) एवं (ii) के बीच में |             |             |                 |
|      | (i) औसत वार्षिक टर्न ओवर   | <b>16</b>        |   |             |             |                 |
|      | (ii) ऋणशोधन प्रमाणपत्र   | <b>4</b>         |   |             |             |                 |
| (बी) | <b>पिछले सात वर्षों के दौरान समान प्रकार के कार्य में अनुभव</b>  | <b>20</b>        | (i) न्यूनतम अर्हता मानदंड हेतु 60% अंक<br>(ii) 100% अंक, न्यूनतम अर्हता मानदंड से दुगना या अधिक आनुपातिक आधार पर (i) एवं (ii) के बीच में                |             |             |                 |
| (सी) | <b>कार्य निष्पादन टाइम –ओवर रन</b>   | <b>20</b>        | <b>प्राप्तांक</b>   |             |             |                 |
|      | <b>बिंदुओं हेतु गणना</b>   | <b>यदि टीओआर</b> | <b>1.00</b>   | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>&gt;3.50</b> |
|      | (i) क्षतिपूर्ति की उगाही के बिना   |                  | <b>20</b>   | <b>15</b>   | <b>10</b>   | <b>10</b>       |
|      | (ii) क्षतिपूर्ति की उगाही सहित   |                  | <b>20</b>   | <b>5</b>    | <b>0</b>    | <b>-5</b>       |
|      | (iii) क्षतिपूर्ति की उगाही संबंधी निर्णय नहीं लिया गया   |                  | <b>20</b>   | <b>10</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
|      | टीओआर=एटी/ एसटी जहां एटी =वास्तविक समय ST= विनिर्दिष्ट समय नोट:उपरोक्त दर्शाई गई चरणों के बीच मान के लिए अंक का निर्धारण सरल रेखा विचलन आधार पर किया जाएगा । |                  |   |             |             |                 |
| (डी) | <b>कार्य निष्पादन – गुणवत्ता</b>   | <b>15</b>        |   |             |             |                 |
|      | (i) बहुत अच्छा   |                  | 15 अंक  |             |             |                 |
|      | (ii) अच्छा   |                  | 10 अंक  |             |             |                 |
|      | (iii) ठीक  |                  | 5 अंक   |             |             |                 |
|      | (iv) घटिया   |                  | 0 अंक   |             |             |                 |
| (ई)  | <b>कार्मिक और स्थापना</b>  | <b>10</b>        | <b>फार्म 'जी' में प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर अंक दिए जायेंगे ।</b>  |             |             |                 |
|      | i) स्नातक अभियंता  |                  | प्रत्येक के लिए 3 अंक अधिकतम 6 अंक तक   |             |             |                 |
|      | ii) डिप्लोमाधारी इंजीनियर  |                  | प्रत्येक के लिए 2 अंक अधिकतम 4 अंक तक   |             |             |                 |
|      | iii) सुपरवायजर/फोरमैन  |                  | प्रत्येक के लिए 1 अंक अधिकतम 3 अंक तक   |             |             |                 |
| (एफ) | <b>संयंत्र और उपस्कर</b>   | <b>15</b>        |   |             |             |                 |
|      | (i) हॉपर मिक्सर/ पैन मिक्सर  |                  | प्रत्येक के लिए 1 अंक तक अधिकतम 2 अंक तक  |             |             |                 |
|      | (ii) ट्रक/टिपर्स/ट्रांजिट  |                  | प्रत्येक के लिए 1 अंक अधिकतम 2 अंक तक   |             |             |                 |

| मिक्सर                              |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| (iii) स्टील शटरिंग                  |  | प्रत्येक 800 वर्ग मीटर के लिए 2 अंक अधिकतम 4 अंक तक |
| (iv) बूम लिफ्ट/मैन लिफ्ट            |  | प्रत्येक के लिए 2 अंक अधिकतम 4 अंक तक               |
| (v) स्कैफोल्डिंग सामग्री            |  | प्रत्येक 1000वर्ग मीटर के लिए 2 अंक अधिकतम 4 अंक तक |
| (vi) बिल्डिंग हॉयस्ट                |  | प्रत्येक के लिए 1 अंक अधिकतम 2 अंक तक               |
| (vii) बार कटिंग मशीन                |  | प्रत्येक के लिए 1 अंक अधिकतम 2 अंक तक               |
| (viii) बार बेंडिंग मशीन             |  | प्रत्येक के लिए 1 अंक अधिकतम 2 अंक तक               |
| (ix) क्यूरिंग पंप                   |  | प्रत्येक के लिए 1 अंक अधिकतम 2 अंक तक               |
| (x) वेल्डिंग मशीन/ वेल्डिंग जेनरेटर |  | प्रत्येक के लिए 1 अंक अधिकतम 2 अंक तक               |
| (xi) कंक्रीट जांच उपस्कर            |  | प्रत्येक के लिए 1 अंक अधिकतम 2 अंक तक               |
| (xii) वाइब्रेटर / कॉम्पैक्टर        |  | प्रत्येक के लिए 1 अंक अधिकतम 2 अंक तक               |
| (xiii) विशेष उपस्कर/ एनडीटी उपकरण   |  | प्रत्येक के लिए 2 अंक अधिकतम 4 अंक तक               |

### 13.3 पूर्व अर्हता बोलियों का अयोग्य पाया जाना :

यद्यपि विभाग का यह अधिकार होता है कि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करे तथा बिना कोई कारण बताएं आवेदन को अस्वीकृत कर दें तथा यदि पूर्व अर्हता मानदंडों को पूरा करने वाले अत्यधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो पात्रता और आवश्यकता के अनुसार किसी भी संख्या तक सूची को सीमित कर सकते हैं।

यद्यपि बोलीकर्ता उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो निम्नलिखित कारणों से बोलीकर्ता को अपात्र घोषित किया जा सकता है :

- (ए) बोलीकर्ता ने पूर्व- अर्हता दस्तावेज हेतु आवश्यक प्रपत्रों, विवरणों तथा संलग्नकों में गुमराह करने वाली, अथवा झूठे अभ्यावेदन या जानबूझकर सूचना छुपाई है अथवा पर्याप्त सूचना प्रस्तुत नहीं की है।
- (बी) बोलीकर्ता का घटिया कार्य निष्पादन जैसे कार्य छोड़ देना, ठेका संतोषजनक पूरा न करना अथवा वित्तीय घाटा/ कमज़ोरियां इत्यादि का रिकार्ड है।

### 13.4. वित्तीय सूचना :

- ❖ बोलीकर्ता को निम्नलिखित वित्तीय सूचना देनी चाहिए :
- ❖ पिछले सात वर्षों के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (**फार्म 'क'** में)
- ❖ निर्धारित **फार्म 'ख'** में बैंक से ऋणशोधन प्रमाणपत्र

### 13.5 समान कार्यों में अनुभव:

#### 13.5.1 बोलीकर्ता को निम्नलिखित प्रस्तुत करना चाहिए :

- (ए) पिछले सात वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक पूरे किए गए समान वर्ग के सभी कार्यों की सूची (**फार्म 'सी'** में)
- (बी) निर्माणाधीन या सौंपी की गई सभी परियोजनाओं की सूची (**प्रपत्र 'डी'** में)

**13.5.2** बोलीकर्ता द्वारा प्रत्येक पूरे किए गए कार्य अथवा किए जा रहे कार्य विवरण (प्रपत्र 'ई' में) कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य पद के अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित करने के बाद अपलोड किया जाना चाहिए ।

### **13.6. संस्थान संबंधी जानकारी :**

- बोलीकर्ता को अपने संस्थान की जानकारी (प्रपत्र 'एफ' और 'जी') में प्रस्तुत करनी होगी ।
- (ए) नाम एवं डाक पता, जिसमें टेलीफोन, फैक्स नंबर, ई-मेल पता इत्यादि भी लिखा हुआ हो ।
- (बी) कानूनी स्थिति, पंजीकरण का स्थान तथा कारोबार के प्रमुख स्थानों का ब्योरा देने वाले मूल दस्तावेजों की प्रतियां ।
- (सी) निदेशकों तथा कार्य से संबंधित अधिकारियों के नाम तथा पता एवं व्यक्तियों के पदनाम जिन्हें संस्थान में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया है ।
- (डी) किसी मुकदमे की जानकारी जिसमें पिछले सात वर्षों में बोलीकर्ता शामिल था तथा वर्तमान में कोई मुकदमा जिसमें वह शामिल है ।
- (ई) विस्तृत संदर्भ हेतु नियोक्ता का प्राधिकरण ।
- (एफ) मूल कंपनी, सहायक कंपनी में तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या एवं इस कार्य में वे कैसे शामिल होंगे (फार्म 'जी' में) ।

### **13.7 निर्माण संयंत्र एवं उपकरण :**

आवेदक को (फार्म 'एच' में उल्लिखित) निर्माण संयंत्र सहित स्टील शटरिंग, शटरिंग तथा स्कैफोल्डिंग इत्यादि उपकरण जो काम करने के लिए प्रयुक्त होने वाले हैं, की सूची देनी चाहिए । किसी अन्य संयंत्र तथा कार्य के लिए आवश्यक उपकरण का विवरण भी (जो प्रपत्र 'एच' में शामिल न हो तथा बोलीकर्ता के पास उपलब्ध हो) दर्शाया जाए ।

### **13.8 अंतरण पत्र :**

आवेदक को, पूर्व अर्हता दस्तावेज के अनुसार बोलीकर्ता के पत्र शीर्ष पर अंतरण पत्र की स्कैन्ड प्रति अपलोड करनी होगी ।

### **13.9 स्थल निरीक्षण एवं बोली-पूर्व बैठक :**

- I. प्रकाशित दिनांक, समय एवं स्थान पर बोली पूर्व बैठक का आयोजन होगा । जिन बोलीकर्ताओं ने बोली दस्तावेज डाउनलोड किए हैं उन सभी से अनुरोध किया जाता है कि वे समग्र निविदा दस्तावेज सहित निविदा विनिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा उनमें हुए परिवर्तन, अस्पष्टता, अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता इत्यादि की सूची तैयार करके निविदा सूचना में इंगित "बोली पूर्व प्रश्नों की प्राप्ति की अंतिम तारीख" से पहले ई मेल (ई मेल पते के लिए टिप्पणी 4 का संदर्भ लें) द्वारा उन्हे भेज दें । बोली पूर्व बैठक के दौरान निविदा आरेख देखने के लिए रखे जाएंगे । बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे बोलीपूर्व बैठक में अपने प्रतिनिधियों को अवश्य भेजें (हाँलाकि यह अनिवार्य नहीं है) । इस बोली-पूर्व बैठक कार्यवृत्त बोलीकर्ताओं हेतु उपयुक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि वे इसे डाउनलोड कर सकें, यह निविदा दस्तावेज का एक भाग होगा । यह माना जाएगा कि निविदा प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीकर्ताओं (चाहे उन्होंने बोली पूर्व-बैठक में भाग लिया हो अथवा नहीं) ने बिना किसी परिवर्तन के कार्यवृत्त स्वीकार किया है ।
- II. इच्छुक बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले स्थल और इसके चारों ओर स्थितियों का निरीक्षण एवं परीक्षण कर लें तथा अपने आप को अग्रलिखित हेतु संतुष्ट कर लें

जैसे : भूमि एवं उप-मृदा की प्रकृति (जहा तक संभव हो), स्थल का प्रकार एवं प्रकृति, स्थल तक पहुचने के साधन, आवास जिसकी उन्हें आवश्यकता हो सकती है तथा प्रायः हो सकने वाले खतरों के बारे में आवश्यक जानकारी, आकस्मिकताओं और अन्य परिस्थितियों की जानकारी जिसका प्रभाव उनकी बोली पर पड़ सकता हो । इच्छुक बोलीकर्ता एनआईटी में उपलब्ध कराए गए टेलीफोन नंबरों पर निविदा आमंत्रण प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं । बोलीकर्ता के पास स्थल की समग्र जानकारी होनी चाहिए चाहे उसने स्थल का निरीक्षण किया हो अथवा नहीं और किसी भी नासमझी हेतु अथवा अन्यथा कोई भी अतिरिक्त प्रभार लगाने की अनुमति नहीं होगी । कार्य के निष्पादन हेतु सभी समग्रियों, उपकरणों एवं कामगारों हेतु संयंत्रों, सुविधाओं तथा अन्य सेवाओं का प्रबंध एवं अनुरक्षण अपने मूल्य पर करना बोलीकर्ता का दायित्व होगा, जब तक कि निविदा दस्तावेजों में विशेष रूप से उन्हें उपलब्ध कराने की बात न हो । बोलीकर्ता द्वारा बोली के प्रस्तुतीकरण के बाद यह माना जाएगा कि उन्होंने इस सूचना को और संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों को पढ़ लिया है तथा उन्हें कार्य के स्वरूप की एवं किए जाने वाले कार्य और शर्तों एवं दरों, भंडार मद्दें, उपकरण एवं संयंत्र इत्यादि जो उन्हें सरकार द्वारा जारी की जाएंगी की पूरी जानकारी है इसके साथ-साथ कार्यनिष्पादन हेतु स्थानीय परिस्थितियों एवं अन्य घटकों से भी वे परिचित हैं।

III. यदि आवश्यक हुआ तो भाग-क खोलने से पहले अनेक बोली पूर्व बैठकों का आयोजन किया जा सकता है । बोली बैठकों की तारीख एवं समय बोलीकर्ताओं को अधिसूचित कर दिया जाएगा । यदि भापअ केंद्र के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तकनीकी विनिर्देश एवं बोली को संशोधित करने का निर्णय लिया जाता है तो संशोधित वित्तीय बोली आमंत्रण हेतु भापअ केंद्र द्वारा संशोधित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे और बोलीकर्ताओं को अधिसूचित तारीख एवं समय के भीतर संशोधित वित्तीय बोली अपलोड करनी होगी । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली में कोई संशोधन नहीं किया जाता तो बोली-पूर्व बैठक का केवल कार्यवृत्त ही अपलोड किया जाएगा । बैठक का यह कार्यवृत्त भी निविदा का एक भाग होगा । मूल/संशोधित भाग-ख (वित्तीय) खुलने की तारीख यथा लागू भाग-क अर्हक बोलीकर्ताओं को सूचित की जाएगी ।

### **13.10 पूर्व अर्हता मूल्यांकन परिणाम की सूचना :**

- (ए) योग्य बोलीदाताओं को शुद्धिपत्र के माध्यम से बाद की तारीख में सूचित किया जाएगा (कृपया तारीख के लिए सीपीपीपी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर जाएं) ।
- (बी) उन बोलीकर्ताओं को जिनकी पूर्व अर्हता बोली योग्य नहीं पाई जाएगी, उन्हें भी सूचित किया जाएगा ।

### **13.11 वित्तीय बोली (भाग-ख) खोलना :**

अर्हता प्राप्त बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोली (भाग-ख) विनिर्दिष्ट तारीख और समय को ऑनलाइन खोला जाएगा और अर्हताप्राप्त बोलीकर्ताओं को ऑनलाइन सूचित किया जाएगा ।

### **13.12 कार्य आदेश जारी करना :**

सक्षम प्राधिकारी द्वारा सफल बोलीकर्ता को कार्य आदेश जारी करने से पहले वित्तीय बोली का मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाएगा ।

### **13.13 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा रद्द करना:**

सक्षम प्राधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे किसी या सभी निविदाओं को रद्द कर दे अथवा इस विभाग पर बिना किसी दायित्व के या कोई कारण बिना बताएं विभिन्न एजेंसियों को कई काम बांट दे ।

### 13.14 सामान्य :

- ए. पात्र वर्ग के लिए पूर्व अर्हता हेतु अनुच्छेदों में अंतरण पत्र और प्रपत्र दिए गए हैं।
- बी. संलग्न प्रपत्रों में मांगी गई सभी सूचना प्रपत्रों में संबंधित कॉलमों में दी जानी चाहिए। यदि कॉलम में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है तो उस कॉलम में “शून्य” अथवा “ऐसा कोई मामला नहीं” प्रविष्टि देनी चाहिए। यदि बोलीकर्ता के मामले में ब्योरा/प्रश्न लागू नहीं होता, है “लागू नहीं” कहा जाना चाहिए। बोलीकर्ता कृपया यह नोट करें कि निविदा प्रपत्रों में मांगी गई अपूर्ण अस्पष्ट/ सूचना देना निर्धारित प्रपत्रों में कोई परिवर्तन करना, किसी सूचना को जानबूझकर छुपाने का परिणाम बोलीकर्ता की अयोग्यता होगी।
- सी. संबंधित ग्राहकों (क्लायेंट) से आवेदक की उपयुक्तता, तकनीकी ज्ञान अथवा क्षमता को प्रमाणित करने वाले संदर्भ, सूचना तथा प्रमाणपत्र अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जो कार्यकारी इंजीनियर या समतुल्य पद से नीचे न हो।
- डी. आवेदक कोई भी अतिरिक्त सूचना दे सकता है, जिसके बारे में उसे लगता है कि उसकी क्षमताओं को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है और वह सौंपे गए कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। यद्यपि उनको यह सलाह दी जाती है कि वह अनावश्यक सूचना न दें। पूर्व योग्यता दस्तावेज की प्रस्तुति के बाद किसी भी सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक यह नियोक्ता द्वारा मांगी न गई हो।
- ई. आवेदक द्वारा दी गई कोई सूचना यदि तुरंत या बाद में गलत पाई जाती है; तो उसे इस विभाग में निविदा करने/ काम लेने से रोक दिया जाएगा।
- एफ. भावी बोलीकर्ता परियोजना आवश्यकताओं संबंधी स्पष्टीकरण एवं पूर्व सुपात्रता दस्तावेज हेतु अनुरोध कर सकते हैं। नियोक्ता द्वारा दिए गए सभी स्पष्टीकरण उन सभी एजेंसियों को भेजे जाएंगे जिन्होंने पूर्व सुपात्रता दस्तावेज खरीदा है।

### जी . गोपनीयता खंड :

#### i) गोपनीयता

सामान्य रूप से इस ठेके के अधीन कोई भी पार्टी मामलों से संबंधित कोई सूचना किसी तीसरी पार्टी को नहीं देगी। विशेष रूप से, कोई भी सूचना जो डिस्क्लोजिंग पार्टी द्वारा मालिकाना स्वरूप में समझी गयी है; वह प्राप्त करने वाली पार्टी द्वारा पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी तथा मूल डिस्क्लोजिंग पार्टी की पूर्व लिखित सहमति के बिना तीसरी पार्टी को यह बताई नहीं जाएगी।

यह खंड उप ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सलाहकारों अथवा पार्टी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू होगा।

ii) परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 की धारा 18 के अधीन “प्रतिबंधित सूचना” तथा कार्यालयीन गुप्त बातों के संबंध में अधिनियम 1923 की धारा 5 के अधीन “कार्यालय के गोपनीय तथ्य”:

किसी ठेकेदार, उप ठेकेदार, परामर्शदाता, सलाहकार या ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा ऊपर उल्लिखित विधान का उल्लंघन करने पर, उपरोक्त दंडात्मक कार्रवाई के पात्र होंगे।

iii) प्रचार के उद्देश्य से बिना अनुमति के भापअ केंद्र के नाम के प्रयोग पर निषेध;

ठेकेदार या उप-ठेकेदार, परामर्शदाता, सलाहकार अथवा ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारीगण प्रचार उद्देश्य से किसी भी सार्वजनिक मीडिया जैसे प्रेस, रेडियो, टीवी या इंटरनेट पर भापअ केंद्र के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना भापअकेंद्र के नाम का प्रयोग नहीं करेंगे।

एच. भापअ केंद्र के ठेके की सामान्य शर्तों, निविदाकारों को विशेष निदेश, विनिर्देश, आरेख, मात्राओं की अनुसूची आदि के अनुसार कार्य का निष्पादन किया जाएगा ।

#### आई. **आवेदन पद्धति :**

- ए) यदि बोलीकर्ता केवल एक ही व्यक्ति है, तो वह अपने पूरे नाम और वर्तमान पते के ऊपर हस्ताक्षर करेगा ।
- बी) यदि बोलीकर्ता, प्रोपराईटरी फर्म के रूप में है, तो पत्र पर अपना पूरा नाम, फर्म का पूरा नाम तथा वर्तमान पते के ऊपर प्रोपराईटर के रूप में हस्ताक्षर करेगा ।
- सी) यदि बोलीकर्ता के रूप में फर्म पार्टनरशिप में है तो फर्म के सभी भागीदार अपने पूरे नाम तथा वर्तमान पते के ऊपर हस्ताक्षर करेंगे अथवा फर्म के लिए मुख्तारनामा धारण करने वाले भागीदार को वैकल्पिक रूप से हस्ताक्षर करना होगा और ऐसे मामले में, आवेदन के साथ मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटार्नी) की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। दोनों मामलों में भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति तथा फर्म के सभी भागीदारों के वर्तमान पते आवेदन पत्र के साथ संलग्न होने चाहिए।
- डी) यदि बोलीकर्ता लिमिटेड कंपनी अथवा निगम है, आवेदन पत्र पर मुख्तारनामा धारण करने वाले विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। हस्ताक्षर करने के लिए आवेदन पत्र के साथ मुख्तारनामा की प्रति संलग्न करनी होगी। बोलीकर्ता पब्लिक नोटरी द्वारा विधिवत साक्षांकित संस्था अंतर्नियम ज्ञापन (आर्टिकिल ऑफ असोसिएशन) की प्रति दें।

#### 13.15 **अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकारी :**

नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करे तथा सुपात्रता-पूर्व प्रक्रिया को रद्द करे तथा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए अथवा आवेदक को कोई दायित्व दिए बगैर सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दें ।

#### 13.16 **कार्य का विवरण अनंतिम है:**

दिए गए कार्य का विवरण अनंतिम है । इसमें परिवर्तन हो सकते हैं तथा इसे मात्र अग्रिम सूचना माना जाएगा ।

शर्तें :

**14. विभाग कार्य को पूरा करने के लिए बोली लगाने वाले की क्षमता और तत्परता का भी आकलन करेगा और आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डालेगा ।**

ए) कार्य के संबंध में कंपनी की तकनीकी क्षमता ।

बी) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप ।

सी) कंपनी की संघटनात्मक संरचना ।

डी) विषयगत कार्य को करने के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित आवश्यक संसाधन ।

ई) समय एवं गुणवत्ता सजगता ।

एफ) असंगत दावों और विवादों के बारे में कंपनी की प्रवृत्ति ।

जी) स्थल नियोजन क्षमता ।

एच) कार्य को बैक टू बैक/उप किराएदारी संबंधी कंपनी की प्रवृत्ति ।

बोलीकर्ताओं की पात्रता के संबंध में पुष्टिकरण के लिए विभाग द्वारा ई-मेल के माध्यम से अतिरिक्त/वैकल्पिक/प्रतिस्थापित दस्तावेज मांगे जाएंगे। इस प्रकार मांगे गए दस्तावेज पात्रता पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत समय के भीतर उत्तर मेल द्वारा प्रस्तुत किए जाए। यदि आवश्यक दस्तावेज अनुमत समय के भीतर उत्तर मेल द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

**15. भापअ परमाणु अनुसंधान केंद्र में लागू सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार, कार्यशुरू करने से पहले भापअ केंद्र के सुरक्षा अनुभाग द्वारा ठेकेदारों की जांच की जाएगी ।**

**16. निविदा के भाग 'क' के खुलने के बाद निविदा में किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी**

**17. किसी शर्त या सर्वानुसार अनुसंधान केंद्र के छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। फिर भी जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा ।**

**18. भापअ केंद्र/पञ्जवि की निविदाओं में बोली लगाने वाले को भाग लेने से रोकना:**

(i) यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भापअ केंद्र में भविष्य में निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से विवर्जित (डीबारमेंट) रखा जाएगा। यदि कार्य शुरू करने से पहले भी किसी भी उल्लंघन की सूचना, विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता ईएमडी एवं निष्पादन गारंटी की संपूर्ण राशि को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि ऐसा उल्लंघन प्रदर्शन प्रतिभूति जमा करने के बाद विभाग के संज्ञान में आता है, तो भापअ केंद्र द्वारा प्रदर्शन गारंटी, ईएमडी (यदि जारी नहीं किया जाता है) की पूरी राशि को विवर्जन के अतिरिक्त जब्त कर ली जाएगी।

(ii) यदि भापअ केंद्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयानुसार बोलीकर्ता ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 151 और 175 (1) या इसके संशोधन [<https://doe.gov.in/ordercircular/general-financial-rules2017-01>] और/या कार्यों की प्राप्ति मैनुअल 2022 के खंड 7.5 और उप-खंड (अध्याय 7) या इसके संशोधन [<https://doe.gov.in/manuals/manual-procurement-works-updated-june-2022>] के अंतर्गत; और/या खंड 2.4 और उप-खंड (अध्याय 2) परामर्श और अन्य सेवाओं की प्राप्ति के लिए मैनुअल 2022 या इसके संशोधन [<https://doe.gov.in/divisions/manual-purchase-consultancy-other-services>] का उल्लंघन किया है तो बोलीकर्ता/ठेकेदार को भापअ केंद्र/पञ्जवि में किसी भी प्राप्ति/निविदाओं में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। इस संबंध में भापअ केंद्र के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और बोलीकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

(iii) बोलीकर्ताओं को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना चाहिए कि क्या उन्हें किसी अवधि के लिए बोली लगाने से रोका गया है या किसी कार्य को निम्न प्रदर्शन के कारण समाप्त कर दिया गया है या उन्हें क्लाइंट एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि किसी सरकारी, अर्ध-सरकारी क्लाइंट के संबंध में किसी कार्य को पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया गया है। भापअ केंद्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मामले की समीक्षा की जाएगी तथा वे यह तय करेंगे कि बोली लगाने पर रोक वर्तमान कार्य के लिए लागू होता है या नहीं।

19. कार्य को पूरा करने की अवधि की गणना कार्य शुरू करने के लिएया लिखित आदेश मिलने के 15वें दिन से निविदा दस्तावेजों में यथा उल्लिखित, यदि कोई हो, चरणबद्ध तरीके के अनुसार होगी।
20. निविदा को निविदा के अँन लाइन प्रस्तुतीकरण के बंद होने की आखरी तारीख से ( ) दिनों तक वैध रखा जाएगा।
21. यदि बयाना राशि के मूल दस्तावेज की प्राप्ति और निविदा खोलने की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित तिथि को अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित माना जाएगा।
22. बयाना राशि के रूप में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा लेखा अधिकारी, भापअ केंद्र, मुंबई बैंक विवरण सहित (यदि आवश्यक हो तो), भारतीय स्टेट बैंक, भापअ केंद्र, ट्रांबे, शाखा आईएफएससी: **SBIN0001268** के नाम से जारी किए गए आवधिक जमा रसीद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे आर्डर की मूल प्रति प्रस्तुत की जानी होगी। बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है। ऐसे मामले में, बयाना जमा की कम से कम 50% राशि अथवा ₹.20.00 लाख, जो भी कम हो, उक्त निधारित रूप में होनी चाहिए तथा शेष राशि को निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट-'ए' के अनुसार किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, ईएमडी की कागजी प्रति उक्त क्रमांक 1 में उल्लेख किए गए स्थान पर सीलबंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिए। लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम तथा एनआईटी संख्या लिखी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, मूल ईएमडी तथा निविदा स्वीकृति दस्तावेज वरीयत: व्यक्तिगत रूप से जमा किए जाने चाहिए। इन्हें गेट पर रखे ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला जाना चाहिए। तथापि, डाक अथवा कुरियर से प्रेषित दस्तावेजों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते वे क्रम सं. 1 में दिए गए उक्त पते पर निधारित तिथि एवं समय के भीतर प्राप्त हुए हों। ईएमडी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निधारित तिथि के भीतर ईएमडी प्रस्तुत न करने पर बोलीकर्ता की वित्तीय बोली को नहीं खोला जाएगा।
23. जिस बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की जाती है उसे BARC द्वारा स्वीकृति पत्र (LOA) जारी किया जाएगा। LOA प्राप्त होने के बाद, बोलीकर्ता को संविदा के निविदा मूल्य के 3% के बराबर राशि प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में जमा करनी होगी और BARC द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा स्वीकार करने के बाद, बोलीकर्ता को कार्य आदेश दिया जाएगा। स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख से प्रदर्शन गारंटी जमा करने के लिए अनुमत समय 15 दिन होगा। यह अवधि बोलीकर्ता के लिखित अनुरोध पर EIC द्वारा 1 से 15 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के 0.1% प्रति दिन की दर से विलंब शुल्क के साथ बढ़ाई जा सकती है। 3% की प्रदर्शन सुरक्षा बैंक गारंटी (यदि प्रदर्शन सुरक्षा 1.00 लाख रुपये से अधिक है), अनुसूचित बैंकों की सावधि जमा रसीदों या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी स्वीकार की जा सकती है। यदि स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है, तो एल 1 बोलीकर्ता की ईएमडी को प्रदर्शन सुरक्षा की स्वीकृति के बाद लौटाया/वापिस कर दिया जाएगा। यदि स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जाता है तो एल 1 बोलीकर्ता की ईएमडी BARC द्वारा कार्य रद्द करने या प्रस्ताव की वैधता समाप्त होने के बाद, जो भी पहले हो, वापस कर दी जाएगी/लौटाई जाएगी। एल 2 और अन्य बोलीकर्ताओं की ईएमडी BARC के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुलनात्मक वित्तीय विवरण (सीएसटी) की स्वीकृति के बाद वापस कर दी जाएगी/लौटाई जाएगी। दो/तीन बोली प्रणाली के मामले में, तकनीकी बोली मूल्यांकन के दौरान असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी CPPP में तकनीकी बोली मूल्यांकन अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।
24. बोलीकर्ता को अपने संविदा की उचित पूर्ति के लिए प्रतिभूति जमा के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगा, ऐसी राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5% (द्वाई प्रतिशत) होगी। प्रतिभूति जमा ठेकेदारों के चालू प्रतिभूति जमा बिल की सकल राशि से 2.5 % की दर से कटौती द्वारा तब तक वसूली जाएगी जब तक पहले ही जमा की गयी प्रतिभूति जमा के साथ उक्त राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5 % हो जाए। प्रतिभूति जमा, सरकारी प्रतिभूतियां, अनुसूचित बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक की आवधिक जमा

पावतियों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी । इन्हें लेखा अधिकारी, भापअ केंद्र, मुंबई के नाम पृष्ठांकित किया जाएगा ।

25. यदि सफल निविदाकार कार्य प्रारंभ करने की अनुबंधित तारीख को या उससे पहले निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो विभाग (भापअ केंद्र) किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, उक्त बयाना राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर सकते हैं और मौजूदा जीएफआर के अनुसार आगे की रोक प्रक्रिया भी कर सकते हैं ।
26. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरक्षित है जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है। वे सभी निविदाएं, जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों अथवा जो किसी भी विष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।
27. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफारिश करना सख्त मना है, जो ठेकेदार सिफारिश करेगा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी ।
28. निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नामों की सूचना प्रभारी अभियंता को दे दी जाए, जो प्रभारी अभियंता से निर्देश लेने के लिये जिम्मेदार होंगे ।
29. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं निविदाकार अपने द्वारा दी गयी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं।
30. i. ( जीएसटी का अर्थ होगा वस्तु एवं सेवा करकेंद्र-, राज्य और अंतरराज्य- ।  
ii) अनुसूची-बी में उद्धृत सभी निविदा दरें जी. एस. टी. रहित होंगी, लेकिन इसमें निविदा प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित (तिथि विस्तार सहित) पर लागू अन्य सभी कर, रॉयल्टी, लेवी या उपकर शामिल होंगे।  
iii) इस कार्य संविदा पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लागू होने वाला जीएसटी, इस कार्य के लिए जीएसटी भुगतान के मूल दस्तावेजी प्रमाण के प्रस्तुत करने पर, भापअ केंद्र द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है। ईपीएफ और ईएसआईसी भुगतानों की प्रतिपूर्ति नीचे दिए गए खंडों के अनुसार की जाएगी। इस संविदा के लिए इनपुट या आउटपुट के संबंध में कोई अन्य कर, बीमा व्यय, प्रभारों बोलीकर्ता द्वारा देय होगा और सरकार इसके संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगी।  
iv) बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जीएसटी की पालना करते हैं और उनकी उद्धृत कर संरचना/दरें जीएसटी नियम के अनुसार हैं।  
v) ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल से जीएसटी पर 2% टीडीएस किए गए कार्य के सकल मूल्य के @1% की दर पर श्रमकल्याण उपकर काटा जाएगा ।  
vi) ठेकेदार को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल में से आयकर एवं उपकर काटे जाएंगे ।  
vii) ठेकेदार को ईपीएफ और ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा नियमानुसार अथवा यदि विभाग की मांग है तो ठेकेदार ठेके के कामगारों के ईपीएफ एवं ईएसआईसी भुगतान संबंधित विभाग को करेगा और जब विभाग इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इसका भुगतान वास्तव में और सही रूप से कर दिया गया है तो विभाग ठेकेदार को इसकी प्रतिपूर्ति कर देगा। बोलीकर्ता अपनी दरों में ठेकेदार को सभी पात्र कार्मिकों/कामगारों/मजदूरों के ईपीएफ और ईएसआईसी पर विचार नहीं करेगा।  
ठेकेदार सभी पात्र कर्मचारियों/श्रमिकों/कामगारों के संबंध में ईपीएफ अधिनियम, 1952 के सभी प्रावधानों का पालन करेगा तथा प्रत्येक आरए बिल के साथ इसका दस्तावेजी प्रमाण नियमित रूप से जमा कराएगा।

viii) सरकारी निदेशों के अनुसार कोई अन्य कर/उपकर की कटौती, ठेकेदार को समय- समय पर भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल में से की जाएगी ।

31. यदि कोई निविदाकार वैधता की अवधि से पहले निविदा वापस लेता है अथवा निविदा की निबंधनों और शर्तों में ऐसे संशोधन करता है जो कि विभाग को मान्य न हो तो सरकार अन्य किसी अधिकार या कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संपूर्ण बयाना राशि की 50% (पचास प्रतिशत) धनराशि को जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

इसके अतिरिक्त, निविदाकार को कार्य की पुनः निविदाकरण प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

32. सफल निविदाकार को कार्य सौंपने के पश्चात, ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समय सारणी एवं नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत करेगा जो करार का एक भाग होगा ।

33. जिन सफलनिविदाकारों की निविदा स्वीकार की जाएगी उन्हें बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कार्यकर्ताओं जैसे: इजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मज़दूरों का अपने खर्चे पर पुलिस की विशिष्ट शाखा द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा और जिसे तदनुसार ही कोट किया जाए । पीवीसी तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा ।

यदि सुरक्षा जांच के परिणामस्वरूप ठेकेदार/कंपनी/फर्म/मालिक और/अथवा उनके ठेके के कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर और पूर्ववर्ती अभ्युक्तियाँ/ अधिसूचना प्राप्त होती हैं तो कोई कारण बताए बिना/कारण बताओं नोटिस दिए बिना ठेकेदार की सेवाएं तुरंत समाप्त करने का अधिकार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास सुरक्षित हैं । भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा उक्त कार्रवाई के फलस्वरूप परिस्थितियों के तहत किसी नुक्सान/दायित्व हेतु दावे का अधिकार ठेकेदार के पास नहीं होगा । डीई/बीएआरसी द्वारा समय-समय पर पञ्चवि/भापअ केंद्र द्वारा जारी सुरक्षा अनुदेशों के पालन/अनुसरण में ठेकेदार की ओर से होने वाली असफलता हेतु सरकार के अधिकार में मौजूद कार्यनिष्ठादन सुरक्षा और/अथवा सुरक्षा जमा का कुछ भाग/पूर्ण भाग जब्त करने का अधिकार भी भापअ केंद्र के पास सुरक्षित है ।

अनुदेश:

34. ठेकेदार <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं होंगे, उन्हें पंजीकृत होने की आवश्यकता है।
35. इच्छुक बोलीकर्ता के पास निविदा दस्तावेज (एक्सेल/वर्ड फार्मेट) को प्राप्तने/डाउनलोड करने हेतु अनुरोध करने के लिए वैध क्लास-III डिजिटल हस्ताक्षर होने चाहिए। अनिवार्य दस्तावेजों तथा ईएमडी/ निर्धारित प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित बोली प्रतिभूति घोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करने के पश्चात ही बोली प्रस्तुत की जा सकती है ।
36. उपरोक्त उल्लिखित समय तथा तारीख तक निविदाएं प्राप्त हो जानी चाहिए । उपरोक्त उल्लिखित समय एवं तारीख पर भाग 'क' (तकनीकी बोली) खोला जाएगा । भाग 'क' खोलने के पश्चात, मूल्यांकन के लिए ठेकेदारके जारी पूर्ण किए गए कार्य क्षेत्र एवं कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा और उनके दस्तावेजों से संबंधित तकनीकी वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदाकारों को योग्य/अयोग्य घोषित किया जाएगा । तब योग्यताप्राप्त सफल निविदाकारों का निविदा का भाग 'ख' (वित्तीय बोली) को अधिसूचित तारीख

एवं समय पर खोला जाएगा। सीपीपी पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से सभी बोली कर्ताओं को भाग 'ख' (वित्तीय बोली) खुलने की तारीख सूचित कीजाएगी।

37. वित्तीयप्रस्ताव/वाणिज्यिकबोली/बीओक्यू प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर BOQ\_XXXX.xls के रूप में उपलब्ध कराया गया है। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस BOQ\_XXXX.xls को वैसे ही डाउनलोड करें और अपने ऑफर/दरों को अनुमत कॉलम में उद्धृत करें और इसे वाणिज्यिक बोली में अपलोड करें। बोलीकर्ता किसी भीतरी के से डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट में छेड़छाड़/संशोधित नहीं करेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़/संशोधन पाया जाता है, तो निविदा को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा।
38. निविदा खुलने की तारीख के दिन, ठेकेदार लॉग इन करके बोली खुलने के बाद उसकी स्थिति देख सकते हैं।
39. ठेकेदार को प्रत्येक वस्तु की दर कोट करना सुनिश्चित करना चाहिए। आंकड़ों में दर उद्धृत करने के लिए बनाया गया कॉलम स्काई ब्लू रंग में दिखाई देता है। किसी भी सेल का चयन करते समय एक चेतावनी अनिवार्य रूप से ऐसी सभी कोशिकाओं को किसी भी मान से भरने के लिए प्रकट होती है, जिसमें "0" (शून्य) शामिल है।  
टिप्पणी : निविदा जमा करने से पहले सभी एनआईटी मानदंडों को पूरा करने के लिए संभावित एजेंसियों को खुद को संतुष्ट करना होगा। निर्धारित मानदण्डों को पूरा न करनेवाली एजेंसियों की निविदा पर विचार न करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
40. योग्य स्रोत देश: भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के किसी भी बोलीकर्ता को सार्वजनिक प्रापण विभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, सरकार द्वारा जारी आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 1) और आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 2) का पालन करना होगा। भारत एफ.सं. 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23.07.2020 और समय-समय पर इसके परिशिष्ट के तहत। साथ ही, बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज के 'परिशिष्ट- एफ' में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। यदि इस तरह की घोषणा या प्रमाण पत्र बोली जमा करने के समय या अनुबंध प्रदान करने के बाद किसी भी समय गलत या गलत पाया जाता है, तो उक्त अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा, साथ ही ऐसी अन्य कार्रवाइयों के साथ जो भारत के प्रासंगिक कानून के तहत अनुमेय हो सकती हैं।
41. यह निविदा एक कार्य संविदा होने के कारण एमएसएमई फर्मों के लिए कोई वरीयता/छूट जून 2022 में अद्यतन किए गए कार्यों का प्रापण नियमावली के अनुसार इस निविदा पर लागू नहीं होती है।
42. मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अवधि के भीतर अपलोड करना है :-
- I) अंतरण पत्र
  - II) पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित टर्नओवर जिस पर सीए का विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यू.डी.आई.एन.) हो।
  - III) पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित लाभ और हानि विवरण जिस पर सीए का वैध विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यू.डी.आई.एन.) हो।
  - IV) नवीनतम बैंक ऋणशोधन क्षमता प्रमाणपत्र।

V) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी की सूची ।

VI) तकनीकी कर्मचारियों की सूची ।

VII) प्रमाणपत्र:

1. पंजीयन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो तो ।
2. कार्य अनुभव प्रमाणपत्र/निष्पादन प्रमाणपत्र ।
3. जीएसटी पंजीकरण का प्रमाणपत्र ।
4. पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीयन
5. ईपीएफ एवं ईएसआईसी के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र ।

VIII) बोलीकर्ता के लेटरहेड पर वचन देना कि "पात्र समानकार्य किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से बैकटूबैक आधार पर निष्पादित नहीं किए गए हैं।

IX) बोलीकर्ता को भाग ए के खंड ॥ और खंड - 11 अनुबंध की सामान्य शर्तें के अनुसार वचनबद्धता ।

X) पिछले सात वर्षों में पूर्ण किए गए समान कार्यों की सूची जिसमें i) एजेंसी जिस के लिए निष्पादित किया गया है, ii) कार्य का मूल्य, iii) निर्धारित और पूरा होने का वास्तविक समय, iv) ग्राहकों से योग्य समान कार्यों का प्रदर्शन प्रमाण पत्र।

XI) चालू कार्यों की सूची दर्शातीहै: i) एजेंसी ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होने का निर्धारित समय / वर्तमान स्थिति।

XII) वचनबद्ध/घोषणा-अनुलग्नक 1 से अनुलग्नक-4 (अंग्रेजी एनआईटी में दर्शाएनुसार)

XIII) किसी भी क्लाइंट फर्म द्वारा बोलीकर्ता के निम्न कोटि के प्रदर्शन के कारण प्रतिबंधित/काली सूची में डाले गए/समाप्ति के कार्यों की सूची। यदि ऐसा कोई प्रतिकूल मामला नहीं है तो एक शून्य सूची संलग्न की जाए। यदि कोई सूची प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि बोलीकर्ता इस बात की पुष्टि कि है कि उन्होंने ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं किया है।

XIV) इस कार्य के लिए बयाना जमा राशि (ईएमडी)।

टिप् प्पी : तकनीकी मूल्यांकन के दौरान लापता दस्तावेज, यदि कोई हो, निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

43. बोलीकर्ता को निम्नलिखित भरना आवश्यक है:

- क) तकनीकी बोली
- ख) मानवशिक्ति और मशीनरी का विवरण (अनुलग्नक 'ए' अनुसार)
- ग) अनुसूची - 'बी' (वित्तीयबोली)

44. ई-बैंक गारंटी (ई-बी.जी.) भी स्वीकार्य है और बैंक गारंटी के स्थान पर इसे वरियता दी जाती है।

टिप्पणियाँ:

1. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण और बोली जमा करने के लिए वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर जा सकती हैं।
2. सहायता/स्पष्टीकरण के लिए संपर्क: (022) 25591925/25593065/25594868/25593064/ 25593067. Fax: (022)25505310
3. ई-निविदा में पंजीकरण और भागीदारी में सहायता के लिए संपर्क करें:
  - 2.1) २४x७ सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क -0120-4001002,0120-4001005,0120-6277787
  - 2.2) लोकल हेल्पडेस्क-022 25486322/25486374
  - 2.3) email at [support-eproc@nic.in](mailto:support-eproc@nic.in)
4. बोलीकर्ता जो साइट पर जाना चाहते हैं, वे निम्नलिखित ईमेल आईडी पर विज़िटर के नाम और उनके आईडी विवरण (सरकार द्वारा जारी आईडी जैसे आधार कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस, आगंतुक के विवरण के साथ ईमेल करेंगे। बीएआरसी का दौरा करते समय मूल आईडी ले जाना है), फर्म का पता।
5. साइटविज़िट/स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध भेजने के लिए ईमेल आईडी

सेवा में: [arun@barc.gov.in](mailto:arun@barc.gov.in),

प्रतिलिपि: [ankan@barc.gov.in](mailto:ankan@barc.gov.in), [dayac@barc.gov.in](mailto:dayac@barc.gov.in), [mpradhan@barc.gov.in](mailto:mpradhan@barc.gov.in),  
[kkaval@barc.gov.in](mailto:kkaval@barc.gov.in)

6. यदि एनआईटी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को सही माना जाए ।

मुख्य अभियंता,  
सिविल इंजीनियरी प्रभाग,  
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र  
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

निविदा स्वीकृति पत्र  
(कंपनी के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाएं।)

दिनांक :

प्रति,  
मुख्य अभियंता,  
सिविल इंजीनियरी प्रभाग,  
भापअ केंद्र, ट्रांबे,  
मुंबई-400 085

विषय : निविदा की शर्तें एवं निबंधनों की स्वीकृति ।

निविदा संदर्भ सं. बीएआरसी / सीईडी / ईटी / / 2024-2025 दिनांक: . . 2025

निविदा/ कार्य का नाम : -

---

महोदय,

1. मैंने/हमने उपर्युक्त निविदा/कार्य के लिए आपके विज्ञापन में दिए गए अनुसार उपर्युक्त वेबसाइट (वेबसाइटों) <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> और [www.barc.gov.in](http://www.barc.gov.in) से निविदा दस्तावेज डाउनलोड/प्राप्त कर लिए हैं।
2. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने निविदा दस्तावेजों के सभी नियम और शर्तों को पढ़ लिया है जो अनुबंध समझौते का हिस्सा होंगे और मैं/हम इसमें शामिल नियमों/शर्तों/खंडों का पालन करेंगे।
3. इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धिपत्र/शुद्धिपत्रों को भी ध्यान में रखा गया है।
4. मैं/हम एतद द्वारा उपर्युक्त निविदा दस्तावेज/दस्तावेजों / शुद्धिपत्र/शुद्धिपत्रों की निविदा शर्तों को उसकी संपूर्णता/समग्रता के साथ बिना शर्त स्वीकार करता हूं /करते हैं ।
5. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

या

डिबार/ब्लैकलिस्टिंग के मामले अलग से संलग्न हैं ।

6. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी सत्य एवं सही है तथा इस जानकारी के गलत/मिथ्या होने पर या उल्लंघन पाए जाने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई सहित अन्य किसी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपका विभाग/संगठन कोई भी नोटिस दिए बिना या कारण बताए बगैर बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर देगा या ठेके को समाप्त कर देगा ।

भवदीय,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

**जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए**

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 एबी के अनुसार वचन देना  
तत्काल दो पूर्ववर्ती वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल करने की पुष्टि की घोषणा।

मैं, \_\_\_\_\_ [नाम], व्यक्ति/मालिक/साझेदार/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की हैसियत से \_\_\_\_\_ [इकाई का नाम] पैन \_\_\_\_\_ के साथ, आय अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आवश्यक के रूप में निम्नलिखित घोषणा करता हूं (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित):

1. कि मैं/हम व्यक्तिगत/मालिक/साझेदार/निदेशक के रूप में यह घोषणा करने के लिए अधिकृत हूं/हैं।
2. मैं/हम इसके द्वारा घोषित और पुष्टि करते हैं कि मैं/हम आईटी अधिनियम की धारा 206एबी में प्रदान की गई 'निर्दिष्ट व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
3. मैंने/हमने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अनुसार नियत तारीख के भीतर वित्तीय वर्ष 22-23 और वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए आय की विवरणी विधिवत दाखिल की है - हां/नहीं (जो लागू न हो उसे काट दें)
4. यदि रिटर्न भरा गया है तो विवरण इस प्रकार है:

मैं/हम, \_\_\_\_\_ जिनके पास पैन \_\_\_\_\_ है, एतद्वारा पुष्टि करता हूं कि धारा 206 एबी का प्रावधान मेरे/हमारे मामले में लागू नहीं है क्योंकि मैं/हम आयकर रिटर्न भरने में नियमित हैं/हैं। पावती संख्या और पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख का विवरण (दस्तावेजों के प्रमाण के साथ) नीचे दिया गया है:

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष / (आकलन वर्ष) | फाइल करने की तिथि | आयकर रिटर्न आईटीआर पावती संख्या |
|---------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1       | 2022-23 / (2023-24)        |                   |                                 |
| 2       | 2023-24 / (2024-25)        |                   |                                 |

5. मैं/हम उपरोक्त जानकारी की गलत रिपोर्टिंग के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी कर, ब्याज, दंड आदि सहित किसी भी हानि/दायित्व के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं।

उपरोक्त सभी अभ्यावेदन सत्य और सही हैं, और हम/मैं इसके समर्थन में किसी भी समय आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं।

की ओर से \_\_\_\_\_  
<< अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

&gt;&gt;

<< पदनाम >>  
संस्था का नाम:

फर्मो/एजेंसियों द्वारा जीएसटी उपक्रम  
(कंपनी के लेटर हेड पर दिया जाए)

निविदा/कार्य का नाम:

---

प्रिय महोदय,

1. कि बोली लगाने वाले जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं और जीएसटी प्रावधानों के अनुरूप हैं।
2. जीएसटी प्रावधानों का अनुपालन न करने और किसी भी इनपुट क्रेडिट में रुकावट के मामले में, बोली लगाने वाला BARC को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार होगा।
3. बोली लगाने वाले द्वारा सभी इनपुट क्रेडिट बीएआरसी को दे दिए गए हैं।

जगह:

तारीख:

भवदीय,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

**बोलीदाता द्वारा स्थानीय सामग्री प्रमाणन**  
(कंपनी के लेटर हेड पर दिया जाए)

निविदा/कार्य का नाम:

---

---

प्रिय महोदय,

बोलीकर्ता के पत्र शीर्ष पर निम्नानुसार वचनबद्ध है :

“हम \_\_\_\_\_ (बोलीकर्ता का नाम) वचन देते हैं कि हम निविदा संख्या \_\_\_\_\_ के लिए पीपी-एलसी पॉलिसी के अनुसार ‘श्रेणी । स्थानीय आपूर्तिकर्ता’ हेतु अर्हक होने की अनिवार्य ‘स्थानीय सामग्री’ (एलसी) की आवश्यकता को पूरा करते हैं। बोली में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत \_\_\_\_\_ % है। ”

बोली लगाने वाले के अधिकृत दिनांकित हस्ताक्षर

**परिशिष्ट-एफ**  
**पात्र स्रोत देशों हेतु प्रमाणपत्र का प्रपत्र**  
(बोलीकर्ता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

मैंने/हमने..... (बोलीकर्ता का नाम) ....., भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीकर्ता से प्रापण पर प्रतिबंध संबंधी एनआईटी खंड को पढ़ लिया है तथा मैं/हम ऐसे देश से नहीं हैं या ऐसे देश से हैं (देश का नाम लिखें.....) जो सक्षम प्राधिकारी के अधीन पंजीकृत हैं तथा वैध पंजीकरण के प्रमाणस्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र इसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं।

मैं/हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम इस संबंध में समस्त अपेक्षाओं को पूर्ण कर रहे हैं तथा एनआईटी खंड के अनुसरण में बोलीकर्ता के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र हैं।

मैं/हम नियोक्ता के इस अधिकार को भी स्वीकार करते हैं कि यदि बोलीकर्ता ऊपर उल्लेखित देश से हैं तथा उन्होंने अपनी बोली के साथ उक्त प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया है, तो नियोक्ता द्वारा बोलीकर्ता को अयोग्य माना जायेगा।

मैं/हम नियोक्त के इस अधिकार को स्वीकार करते हैं कि बोलीकर्ता द्वारा गलत घोषणा या प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने पर, कानून के तहत अनुमेय अन्य कार्रवाइयों सहित बोलीकर्ता की प्रतिभागिता पर पाबंदी लगा दी जायेगी।

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर